

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-09092021-229506
SG-DL-E-09092021-229506

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]	दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 2021/भाद्र 17, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 163
No. 256]	DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2021/BHADRA 17, 1943	[N. C. T. D. No. 163

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 8 सितम्बर, 2021

सं. फा. 7/विविध/91-96/एजीओटी/ पार्ट फाइल (i)7586-7593.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 1 अप्रैल, 1972 की अधिसूचना संख्या 17/31/68-एसआर के साथ पठित दिल्ली महाप्रशासक तथा शासकीय न्यासी भर्ती नियमावली, 1975 के नियम 9 तथा महाप्रशासक अधिनियम (1963 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री सुमित जिदानी, अधिवक्ता को तत्काल प्रभाव से पाँच वर्ष की अवधि के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के महाप्रशासक के रूप में नियुक्ति को अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं. फा. 7/विविध/91-96/एजीओटी/ पार्ट फाइल (ii).—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 1 अप्रैल, 1972 की अधिसूचना संख्या 17/31/68-एसआर के साथ पठित दिल्ली महाप्रशासक तथा शासकीय न्यासी भर्ती नियमावली, 1975 के नियम 9 तथा शासकीय न्यासी अधिनियम 1913 (1913 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री सुमित जिदानी, अधिवक्ता को तत्काल प्रभाव से पाँच वर्ष की अवधि के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासकीय न्यासी के रूप में नियुक्ति को अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

रुचि अग्रवाल असरानी, अतिरिक्त-सचिव (विधि, न्याय तथा विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 8th September, 2021

No. F. 7/Misc./91-96/AGOT/Part File/(i)7586-7593.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Administrator General Act, 1963 (Central Act No.45 of 1963) and rule 9 of the Delhi Administrator General and Official Trustee Recruitment Rules, 1975 read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.17/31/68-SR dated the 1st April, 1972, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to accord his approval to the appointment of Sh. Sumit Jidani, Advocate as Administrator General of the National Capital Territory of Delhi, for a period of five years with immediate effect.

No. F. 7/Misc./91-96/AGOT/Part File/(ii).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Official Trustees Act, 1913 (Central Act No.2 of 1913) and rule 9 of the Delhi Administrator General and Official Trustee Recruitment Rules, 1975, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.17/31/68-SR dated the 1st April, 1972, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to accord his approval to the appointment of Sh. Sumit Jidani, Advocate as Official Trustee of the National Capital Territory of Delhi, for a period of five years with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

RUCHI AGGARWAL ASRANI, Addl. Secy. (Law, Justice & L.A.)